

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या 75/17

श्रीमति हुक्मा पत्नि रंगनाथ (रंगनाथ पुत्र तारुनाथ) जाति जोगी निवासी भूडोल तहसील व जिला अजमेर

वादीया

बनाम

1-श्री नन्दानाथ पुत्रश्री तारुनाथ जाति जोगी निवासी भूडोल तहसील व जिला अजमेर

2-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 रा0का0अधिनियम 1955

समक्ष

श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई आर0ए0एस

उपस्थित:-

1-श्री लक्ष्मणनाथ योगी

2-श्री अमित कासोटिया

अभिभाषक वादी

अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 15.01.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादिया ने एक वाद जरिये अभिभाषक अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भूडोल स्थित आराजियात खसरा नम्बर 4079 रकबा 0.09है0, ख0न0 4080 रकबा 0.12है0, ख0न0 4081 रकबा 0.10है0 वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सह-खातेदारी एवं काश्तकारी की आराजियात है जिसमे वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 का क्रमशः 1/2-1/2 हिस्सा निहित है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बाहमी मौखिक बटवारे के अनुसार काबिज काश्त है परन्तु आज दिवस तक वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बटवारा नही होने से झगडा फसाद होता है जिससे उपरोक्त आराजियात का बटवारा करवाने हेतु वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीसंख्या 1 को साधरण एवं रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा। उपरोक्त वाद राजस्व लोक अदालत कैम्प भूडोल मे दिनांक 06.06.2018 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत होने पर पक्षकारान की सुनवाई की गई प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वाद पत्र के साथ सलंगन ग्राम भूडोल स्थित आराजियात खसरा नम्बर 4079 रकबा 0.09है0, ख0न0 4080 रकबा 0.12है0, ख0न0 4081 रकबा 0.10है0 की आराजियात बाबत जमाबन्दी संवत 2072-2075 का अवलोकन किया। उपरोक्त जमाबन्दी मे वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 क्रमशः 1/2-1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है। अतः वाद वादिया लोक अदालत की भावना से प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.06.2018 को किया जाकर तहसीलदार अजमेर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये थे। तहसीलदार अजमेर के द्वारा उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे वादग्रस्त आराजियात बाबत भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बटवारा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए करावे एवं कुरजात रिपोर्ट तैयार कर सुखाधिकार को ध्यान मे रखते हुए तकासमा रिपोर्ट मय बंटवारा प्रस्ताव तथा नक्शा भिन्न भिन्न रगो का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

तहसीलदार अजमेर के द्वारा प्रस्तुत तकासमा रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी नंदा पुत्र तारुनाथ कोम जोगी सा0देह उक्त विवादित आराजी मे से खसरा संख्या 4079 रकबा 0.0850 व खसरा संख्या 4080 रकबा 0.0600 किस्म बारानी-2 कुल किता-2 कुल रकबा 0.1450 जिसे नक्शे मे नांरगी रंग से प्रदर्शित किया गया है एवं हुक्मा पत्नि रंगनाथ कौम जोगी सा0देह (वादी) खसरा संख्या 4080/2 रकबा 0.0500 व खसरा संख्या 4081 रकबा 0.0950 कुल किता-2 कुल रकबा 0.1450 किस्म बारानी-2 जिसे नक्शे मे हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है। का विभाजन किया जाता है। शामलात शेष खसरा संख्या 4079/1 रकबा 0.0050, 4080/1 रकबा 0.0100, 4081/1 रकबा 0.0050 कुल किता-3 कुल रकबा 0.0200 जिसे नक्शे मे पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है। उक्त खसरा नम्बरो मे खसरा संख्या 4079,4080 व 4081 उभय पक्ष की सहमति के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसमे उभय



सहायक कलक्टर (मु.)

पक्ष सहमत है। अतः बटवारा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अजमेर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व अभिलेख में विभाजन कर, विभाजन अनुसार इन्द्राज व पृथक पृथक खाता कायम कर व तरमीम करते हुए निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे। तहरीर जारी हो। डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु०)
सहायक कलक्टर (अजमेर), अजमेर



(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु०) अजमेर

पीठासीन अधिकारी:- श्याम सुन्दर बिश्नोई आर०ए०एस०

श्रीमति हुक्मा पत्नि रंगनाथ (रंगनाथ पुत्र तारूनाथ) जाति जोगी निवासी भूडोल तहसील व जिला अजमेर

वादीया

बनाम

1-श्री नन्दानाथ पुत्रश्री तारूनाथ जाति जोगी निवासी भूडोल तहसील व जिला अजमेर

2-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत 53,188 राज० का० अधि० 1955

मुकदमानम्बर :-75/2017


निर्णय दिनांक :-15.01.2020

वादी की ओर से अभिभाषक लक्ष्मणनाथ योगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री अनित कासोटिया व पैरोकार सरकार उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 15.01.2020 को श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई आर०ए०एस० के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- ग्राम भूडोल स्थित प्रस्तुत तकासमा रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी नंदा पुत्र तारूनाथ कोम जोगी सा०देह उक्त विवादित आराजी में से खसरा संख्या 4079 रकबा 0.0850 व खसरा संख्या 4080 रकबा 0.0600 किस्म बाराणी-2 कुल किता-2 कुल रकबा 0.1450 जिसे नवशे में नांरगी रंग से प्रदर्शित किया गया है एवं हुक्मा पत्नि रंगनाथ कौम जोगी सा०देह (वादी) खसरा संख्या 4080/2 रकबा 0.0500 व खसरा संख्या 4081 रकबा 0.0950 कुल किता-2 कुल रकबा 0.1450 किस्म बाराणी-2 जिसे नवशे में हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है। का विभाजन किया जाता है। शामिल शेष खसरा संख्या 4079/1 रकबा 0.0050, 4080/1 रकबा 0.0100, 4081/1 रकबा 0.0050 कुल किता-3 कुल रकबा 0.0200 जिसे नवशे में पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है। उक्त खसरा नम्बरो में खसरा संख्या 4079, 4080 व 4081 उभय पक्ष की सहमति के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसमें उभय पक्ष सहमत है। अतः बटवारा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अजमेर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व अभिलेख में विभाजन कर विभाजन अनुसार इन्द्राज व पृथक पृथक खाता कायम कर व तरमीम करते हुए निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे। तहरीर जारी हो। डिक्री इसी कदर जारी हो। पक्षकारान खर्चा/व्यय अपना अपना स्वयं वहन करेंगे।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर (मु०)
अजमेर

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी		
	रूपया	रूपया	
1-वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	/
2-शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जों के लिए स्टाम्प	
3-प्रदर्शा के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4-रूपयेपरप्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह- व्यय	
5-साक्षियों के लिए निर्वाह- व्यय		आदेशिका की तामिल	
6-कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7-आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	



(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर (मु०)
अजमेर

न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु0) अजमेर जिला अजमेर

140
23/1/2020

राजस्व वाद संख्या 75/17

अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए

श्रीमति हुक्मा

बनाम

नन्दानाथ


निमित्त:-

तहसीलदार अजमेर

विषय:- प्रकरण मे पारित अन्ति निर्णय व डिक्री की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त वाद मे पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2020 की प्रति सलंगन कर आपको मय नक्शे की प्रति के भिजवाई जा रही है। नियमानुसार पारित निर्णय की पालना अभिलेख मे सुनिश्चित करावे।

सलंगन:- निर्णय डिक्री मय नक्शा


सहायक कलेक्टर (मु0) अजमेर
सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर

